<u>गवर्नमेंट ई– मार्केटप्लेस, जेम (GEM)</u>

शासनादेशः–

1–11 / 2017 / 523, 23 अगस्त, 2017
2–12 / 2017 / 540, 25 अगस्त, 2017
3–19 / 2017 / 836, 28 नवम्बर, 2017
4–21 / 2017 / 704, 30 नवम्बर, 2017
5–13 / 2018 / 203, 27 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं आदि में **<u>साम्रगी एवं सेवाओं</u>** की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा विकसित गर्वनमेंट ई–मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल को अंगीकर करते हुए इस पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है।

राज्य सरकार में साम्रगी एवं सेवाओं का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किये जाने का आधारः–

1–उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल का प्रस्तर–8.4 का बिन्दु 10

2–भारत सरकार के GENRAL FINANCIAL RULES- 2017 के नियम 149 में निहित प्राविधान।

विशेषताएंः–

1–जो साम्रगी एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा।

2–जो साम्रगी एवं सेवाएं जेम पर उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।

3–विभागों अथवा संस्थाओं को क्रय किए जाने की दरों के उपयुक्त होने को प्रमाणित किया जायेगा।

मौद्रिक सीमाः–

1–रू0 50,000 / – तक का क्रय जेम पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी ऐसे आपूर्तिकर्ता से किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करता हों।

2–रू0 50,000 / – से अधिक और 30,00,000 / – तक ऐसे आपूर्तिकर्ता जो उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं में सबसे कम मुल्य का सामान ऑफर कर रहा हो, परन्तु शर्त यह है कि

कम से कम तीन ऐसे विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के मूल्य की तुलना की जाएगी जो **आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टियां** एवं **आपूर्ति अवधि** को संतुष्ट करते हों।

नोटः– जेम पर उपलब्ध ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के टूलस का उपयोग भी क्रेता विभाग द्वारा किया जा सकेगा, अगर सक्षम प्राधिकारी इस सम्बन्ध में निर्णय लेता हैं।

3–रू0 30,00,000/– से अधिक–ऑनलाइन बिडिंग अथवा रिवर्स ऑक्शन टूल का उपयोग कर उस विक्रेता से क्रय किया जा सकेगा जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टयां एवं आपूर्ति अवधि को संतुष्ट करते हुए सबसे कम मूल्य ऑफर करता है।

आवश्यकता को छोटे–छोटे टुकड़ो में विभक्त कर क्रय नही किया जाएगा।

इस पोर्टल का उद्देश्य क्रय व्यवस्था कोः–

1–गुणवत्तापूर्ण

2–पारदर्शी

3–मितव्ययी, बनाना है

इस प्लेटफार्म पर आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं के साथ विविध वस्तुओं की एक विस्तृत श्रंखला उपलब्ध हैं।

इस पोर्टल **gem.gov.in** के उपयोग हेतु सभी विभागों/संस्थाओं द्वारा प्राइमरी यूजर/सेकेण्डरी यूजर (बायर/कन्साइनी/डी0डी0ओ) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारियों को पदनाम से प्राधिकृत करना आवश्यक होगा।

प्राइमरी यूजर्स तथा सेकेण्डरी यूजर्स के पोर्टल पर पंजीकरण हेतु निम्न सूचना की आवश्यकता होगाः–

1–आधार नम्बर

2–आधार नम्बर से जुड़ा हुआ मोबाइल नम्बर

3–सरकारी ई–मेल आई0डी0 **(nic.in/gov.in)** डोमेन पर।

पंजीकरणः–

प्राइमरी यूजर्स के सत्यापन का कार्य प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्राइमरी यूजर के पंजीकरण के उपरान्त उनके द्वारा अपने अधीन कार्यालयों/अधिकारियों को सेकेण्डरी यूजर्स के रूप में क्रेता (बायर), आपूर्ति प्राप्तकर्ता **(कंसाइनी)** अथवा भुगतानकर्ता की भूमिका मे पंजीकृत किया जायेगा।

सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं को प्राप्त करने से पूर्व सक्षम स्तर से क्रय का आवश्यक अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा तथा धनराशि की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर ली जायेगी।

जेम की शर्तो के अनुसार आपूर्ति के 48 घंटे के भीतर प्रोविजनल रिसीट सर्टिफीकेट (Provisnal Receipt certificate-PRC), आपूर्ति के दिनांक से 10 दिन के अन्दर सन्तोषजनक आपूर्ति के प्रमाण–पत्र Consignee's Receipt and Acceptance certificate (CRAC) तथा उसके पश्चात् निर्धारित 10 दिन की समयावधि मे भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

स्टेट जेम पूल एकाउण्टः–

जेम पोर्टल हेतु नोडल विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग) द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंण्डिया में बचत बैंक खाता खोला जायेगा।

जेम के माध्यम से क्रय किये जाने या आपूर्ति का भुगतान किये जाने हेतु क्रेता द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने के पूर्व आपूर्ति के बराबर मूल्य की सम्भावित धनराशि जेम पूल एकाउन्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार से आहरित करके जमा की जायेगी।

यदि निर्धारित समयावधि के अन्दर आपूर्तिकर्ता को भुगतान नही किया जाता है तो इस एकाउन्ट से आपूर्तिकर्ता को स्वतः भुगतान हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता विभाग का होगा

यदि वर्ष के अंत में जेम पूल एकाएन्ट में कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसे राज्य के निर्धारित प्राप्ति लेखाशीर्ष में जेम के माध्यम से जमा कराने का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

वर्ष के अंत में पूल एकाउन्ट में ब्याज के रूप में आर्जित की गयी धनराशि को राजकोष में निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कर दिया जायेगा।